प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के अग्निहोत्री।

रिट याचिका क्र.1033/2003

याचिकाकर्ता: विमल कुमार सिंह

बनाम

प्रत्यर्थीयों/ उत्तरदाताओं: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री आर.एस. मरहास।

राज्य की ओर से : श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता के साथ श्री अरविन्द दुबे, राज्य के पैनल अधिवक्ता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश

(जनवरी, 2007 के 19 वे दिन को पारित)

1. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/27 के तहत दायर की गई है, प्रत्यर्थी संख्या 2- कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-03-2000 (अनुलग्नक पी -1) को आक्षेपित करती है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की सेवा को बर्खास्त कर दिया गया।

2. संक्षेप में, निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता, शासकीय मूक-बधिर और दृष्टिबाधित विद्यालय, धर्मपुर, जगदलपुर में अधीक्षक के कार्यालय में शिक्षक के कार्य पर पदस्थ था। वर्ष 1999 में, याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्यों के अलावा, अधीक्षक, संप्रेक्षण गृह, जगदलपुर का अतिरिक्त प्रभार

दिया गया था और संयुक्त निदेशक, पंचायत और समाज कल्याण विभाग, रायपुर द्वारा आदेश दिनांक 4–1–1999 (अनुलग्नक आर –1) द्वारा धन की निकासी और वितरण के लिए अधिकृत किया गया था।

3. राज्य/ प्रत्यर्थीयों की ओर से हाज़िर हुए अधिवक्तागण के अनुसार, याचिकाकर्ता दुर्विनियोग के लिए आरोपित किया गया था। अधीक्षक, संप्रेक्षण गृह जगदलपुर, के रूप में काम करते हुए, प्रत्यर्थी नंबर 2 द्वारा जारी किए गए चेकों पर ओवर–राइटिंग करके 1,98,000 रुपये की राशि के दुर्विनियोग के लिए आरोपित किया गया था। उक्त दुर्विनियोग का पता चलने के बाद, याचिकाकर्ता अपनी तैनाती के स्थान से फरार हो गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी नंबर 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–7–1999 (अनुलग्नक आर –5) के तहत निलंबित कर दिया गया था, जिसमें निधि के अभिकथित दुर्विनियोग के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर विचार किया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. उसके बाद। याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई थी। एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री ए.के.टोप्पो, संयुक्त कलेक्टर, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना, आरोप को साबित माना। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट से सहमत होते हुए मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (ix) के तहत याचिकाकर्ता को सेवा से निष्कासित कर दिया।

5. व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने आयुक्त बस्तर मण्डल, जगदलपुर के समक्ष दिनांक 13–10–2002 (अनुलग्नक पी–2) अपील दायर की, लेकिन उक्त अपील निष्फल हो गई क्योंकि आयुक्त का पद 31–10–2002 से समाप्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता, जिसके पास कोई अन्य वैकल्पिक उपचार नहीं था, ने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–3–2000 (अनुलग्नक पी–1) को रद्द करने के लिए यह रिट याचिका दायर की।

6. याचिकाकर्ता का एकमात्र तर्क यह है कि –

(1) जारी किया गया कथित आरोप–पत्र याचिकाकर्ता को कभी भी नियम, 1966 के नियम 30 के तहत निर्धारित तरीके से नहीं दिया गया था।

(2) याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना जांच एकपक्षीय रूप से समाप्त हो गई थी। बर्खास्तगी का आक्षेपित आदेश पारित होने से पहले याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट नहीं दी गई थी।

(3) आरोप–पत्र और जांच रिपोर्ट की अदम –तामील ने याचिकाकर्ता के मामले को पूर्वाग्रहित कर दिया है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास प्रत्यर्थी /नियोक्ता द्वारा पेश किए गए गवाहों से प्रति परिक्षण करके और अन्यथा जांच अधिकारी के समक्ष अपनी अनभिग्यता साबित करने का कोई अवसर नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत, श्री वी.वी.एस.मूर्ति, विद्वान उप महाधिवक्ता और श्री अरविंद दुबे, राज्य / प्रत्यर्थीयों की ओर से हाज़िर पैनल अधिवक्ता, यह प्रस्तुत किया कि आरोप–पत्र एक पंजीकृत डाक द्वारा तामील नहीं किया जा सकता था, क्योंकि याचिकाकर्ता कार्यालय से अनुपस्थित रहा। आगे यह तर्क दिया गया कि इस याचिका को तीन साल की देरी के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए।

8. याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता श्री आर. एस. मरहास ने तर्क दिया कि पूरी अनुशासनात्मक कार्यवाही दोषपूर्ण और दूषित थी क्योंकि याचिकाकर्ता (अपचारी कर्मचारी) को आरोप–पत्र नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पूरी विभागीय कार्यवाही, उसके परिणामस्वरूप पारित समाप्ति के आदेश को दोषपूर्ण और अवैध मानकर रद्द कर दिया जाए।

9. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओ को दलीलों और उसमें संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए सुना है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को वास्तव में चार्जशीट नहीं दी गई थी। दोषी कर्मचारी के सरकारी और स्थायी निवास पर आरोप–पत्र का चिपकाना नियम, 1966 के नियम 30 का पर्याप्त अनुपालन नहीं है। नियम, 1966 के नियम 30 के तहत के रूप में पढ़ा जाता है: –

"30. **आदेशों, नोटिसों आदि की तामील-** इन नियमों के अधीन किया गया या जारी किया गया प्रत्येक आदेश, नोटिस और अन्य आदेशिका संबंधित सरकारी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से तामील की जाएगी या उसे पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी।

नियमावली, 1960 के नियम 30 में तामील का तरीका निर्धारित किया गया है। वैधानिक प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन नियमों के तहत किए गए या जारी किए गए आदेश, नोटिस और प्रक्रिया को संबंधित सरकारी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से तामील किया जाएगा या पंजीकृत डाक द्वारा उसे सूचित किया जाएगा। किसी नोटिस या किसी अन्य प्रक्रिया या आरोप पत्र की तामील का कोई प्रावधान नहीं है, प्रकाशन सहित किसी अन्य माध्यम से नियम 14 के तहत शुरू किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. आरोप पत्र की तामील के साथ विभागीय कार्यवाही शुरू होती है। नियम, 1966 के नियम 30 के तहत, किसी भी आदेश, नोटिस आदि की तामील के लिए मोड प्रदान किया गया है। नोटिस या आदेश या तो संबंधित सरकारी कर्मचारी पर व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से दिया जाना चाहिए। बेशक, वर्तमान मामले में, आधिकारिक निवास पर आरोप–पत्र चस्पा कर तामील को प्रभावी किया गया था। नियम, 1966 के नियम 30 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित रूप से व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक ए. डी. के माध्यम से उनके स्थायी निवास पर आरोप–पत्र की तामील करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

11. नोटिस को चस्पा या चिपकाने के माध्यम से नोटिस की तामील को तामीली का विधिक या वैध तरीका नहीं माना जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने *मैसर्स लक्ष्मीरतन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम इसके कामगारों*[1] के मामले में निम्नानुसार टिप्पणी की:–

"10.......... अब यह स्वीकृत तथ्य है की इन इक्कीस (21) कामगारों में से किसी को भी कारण बताओ नोटिस देने का कोई प्रयास नहीं किया गया था और एकमात्र तरीका जिसके

[1] *(1975) SCC 761*

तहत तामील को प्रभावी बनाने का दावा किया गया था, वह मिल के नोटिस बोर्ड पर कारण बताओ नोटिस चिपकाना था। हम यह इंगित कर सकते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा अपनाई गई तामीली का यह तरीका पूरी तरह से अनुचित था और यह अपने आप में विभागीय जांच में एक गंभीर दोष का परिचय देता है, जब तक कि अपीलकर्ता द्वारा यह नहीं दिखाया जा सकता है कि इन इक्कीस (21) कामगारों को कारण बताओ नोटिस की सामग्री के बारे में पता था और कारण बताओ नोटिस की तामील न होने के कारण उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था। ...."

12. *भारत सरकार और अन्य बनाम मोहम्मद रमजान खान* [2] के मामले में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही अर्ध–न्यायिक प्रकृति की है। एक आरोप और एक इनकार है जिसके बाद एक जांच होती है जिस पर निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले साक्ष्य का नेतृत्व किया जाता है और सामग्री का आकलन किया जाता है। ये पहलू मामले को अर्ध–न्यायिक बनाते हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को आकर्षित करते हैं। अपचारी कर्मचारी को वास्तविक अवधि में आरोप–पत्र दिया जाना चाहिए ताकि वह जांच से पहले आरोपों पर अपना जवाब दाखिल कर सके, सबूतों की रिकॉर्डिंग और जांच अधिकारी को उसके निष्कर्ष से पहले उपलब्ध कराई गई तत्वों के आधार पर तर्क प्रस्तुतियाँ कर सकें।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. *भारत सरकार और अन्य बनाम केवी रंकीरमन और अन्य* [3] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "यह केवल तभी होता है जब अनुशासनात्मक कार्यवाही में आरोप–पत्र या दाण्डिक अभियोजन में आरोप–पत्र कर्मचारी को जारी किया जाता है, जिससे कहा जा सकता है कि कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही / दाण्डिक अभियोजन शुरू किया गया है।

14. *दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम एचसी खुराना* [4] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभागीय कार्यवाही शुरू करने के संबंध में, पैरा 9 में निम्नानुसार निर्णय दिया है: –

[2] AIR 1991 SC 471
[3] (1991) 4 SCC 109
[4] (1983) 3 SCC 196

"9. अब प्रश्न है: यह कब कहा जा सकता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया है? हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय आरोप पत्र जारी होने के बाद नहीं हो सकता है, क्योंकि आरोप पत्र जारी करना अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के निर्णय का परिणाम है। आरोप पत्र तैयार करना, अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने के लिए, लिए गए निर्णय पर आरोपों की जांच करने के लिए उठाया गया पहला कदम है। शासकीय कर्मचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किया जाता है; फिर उसे अपना स्पष्टीकरण देने में सक्षम बनाने के लिए आरोप–पत्र दाखिल किया जाता है; यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक है, तो कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है, अन्यथा, आरोपों की जांच की जाती है; यदि आरोप साबित नहीं होते हैं, तो कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है और जुर्माना लगाया जाता है। इस प्रकार, शासकीय कर्मचारी पर आरोप–पत्र की तामीली अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के निर्णय का अनुसरण करती है, और यह उस निर्णय से पहले या साथ में मेल नहीं खाती है। शासकीय कर्मचारी को आरोप–पत्र तैयार किए जाने और भेजे जाने के बाद उसे तामील करने में यदि कोई देरी होती है, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने में देरी का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि शासकीय कर्मचारी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी, आरोप–पत्र की तामील द्वारा, अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए अधिकारियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।

15. *भारत सरकार और अन्य बनाम दीनानाथ शांताराम करेका* [5] के मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 10 में निम्नानुसार टिप्पणी की: –

"10. जहां आरोप–पत्र जारी करके अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का इरादा है, इसकी वास्तविक तामीली आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति जिसे आरोप–पत्र जारी किया गया है,

[5] (1998) 7 SCC 569

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उसे अपना जवाब प्रस्तुत करना आवश्यक है और उसके बाद, अनुशासनात्मक कार्यवाही में भाग लेना आवश्यक है। इसलिए भी, जब कारण बताओ सुचना पत्र जारी किया जाता है, तो कर्मचारी को उसके खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। चूंकि दोनों स्थितियों में, कर्मचारी को अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है, " संसूचना" के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है और "वास्तविक तामील" को साबित और स्थापित किया जाना चाहिए। यह पहले ही पाया जा चुका है कि मूल प्रतिवादी दीनानाथ शांताराम करेतर को न तो आरोप–पत्र और न ही कारण बताओ सुचना पत्र कभी दिया गया था। परिणामस्वरूप, पूरी कार्यवाही दूषित हो गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम शत्रुघ्न लाल और अन्य*[6] के मामले में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 10 में निम्नानुसार टिप्पणी की: –

"10. यह भी पाया गया है कि प्रारंभिक जांच के दौरान, प्रतिवादी के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में कई गवाहों की जांच की गई थी, और ठीक ऐसा ही है, क्योंकि अपचारी प्रारंभिक जांच में शामिल नहीं हैं, और उसके बाद आरोप पत्र तैयार किया गया था। उन बयानों की प्रतियां, हालांकि प्रतिवादी द्वारा मांगी गई थीं, लेकिन उनका समर्थन नहीं किया गया था। चूंकि इस संबंध में भी अपीलकर्ता की ओर से विफलता थी, इसलिए न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया था और प्रतिवादी को सुनवाई का प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था, विशेष रूप से अपीलकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा कि प्रारंभिक जांच के दौरान दर्ज बयानों की प्रतियों की अनापूर्ति ने प्रतिवादी को खुद का बचाव करने के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं किया था।

[6] AIR 1998 SC 3038

17. *माननीय उच्चतम न्यायालय ने ओम प्रकाश मान बनाम शिक्षा निदेशक (बेसिक) और अन्य*[7] के मामले में, उत्तरदाताओं के वकील द्वारा प्रोद्धरण, पैरा 9 में निम्नानुसार देखा: –

"9. अब तक यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत निकायकृत नियम नहीं हैं। उन्हें अनम्य सूत्र में लागू नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन की शिकायत को बनाए रखने के लिए किसी को यह स्थापित करना होगा कि वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन न करने से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया है। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा माना गया है, अपीलकर्ता यह दिखाने में सक्षम नहीं है कि जांच रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत न करने से वह कैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित हुआ है। अपीलकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक विस्तृत अपील दायर की है जिसे ऊपर देखे गए अनुसार खारिज कर दिया गया था। यह उनका मामला नहीं है कि उन्हें जांच रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत न करने के लिए प्रभावी अपील करने से वंचित किया गया है। उन्होंने बिना किसी आपत्ति के जांच की कार्यवाही में भाग लिया है। यह निर्विवाद है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त अवसर दिया गया है और उसने जांच कार्यवाही में भाग लिया है, उसे सुना गया है और जांच समिति के समक्ष तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. राज्य / प्रत्यर्थीयों की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऊपर उद्धत निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। वर्तमान याचिका/प्रकरण में, पूरी विभागीय कार्यवाही दूषित थी क्योंकि जांच कार्यवाही का पहला कदम, अर्थात, राज्य / प्रत्यर्थीयों द्वारा अपचारी कर्मचारी पर आरोप–पत्र की वास्तविक तामील नहीं की गई थी। याचिकाकार्ता के निवास पर आरोप–पत्र के कथित चस्पा से राज्य/प्रत्यर्थीयों द्वारा अपनाया गया तरीका नियम, 1966 के नियम 30 के तहत निर्धारित तरीकों में से एक नहीं है। बाद में पंजीकृत डाक द्वारा तारीखों की सूचना या नोटिस का प्रकाशन जांच के पहले चरण का पर्याप्त अनुपालन नहीं है, जिससे याचिकाकार्ता को जवाब

[7] 2006) 7 SCC 558

दाखिल करने और जांच अधिकारी के समक्ष प्रभावी ढंग से अपना मामला रखने का अवसर नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता ने स्वयं पर आरोप–पत्र की तामील न होने के कारण उसके प्रति पूर्वाग्रह को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। आरोप पत्र की तामील के संबंध में स्पष्ट निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं में जाना आवश्यक नहीं है।

19. इस न्यायालय ने 12–12–2006 को विनिश्चय किए गए नरेंद्र कुमार मिश्रा बनाम छत्तीसगढ़ शासन और अन्य (2003 की रिट याचिका संख्या 1328) के मामले में यह अभिनिर्धारित है कि यदि अपचारी कर्मचारी पर आरोप–पत्र की वास्तविक तामील नहीं की जाती है तो पूरी विभागीय कार्यवाही दूषित है। याचिकाकर्ता के निवास पर आरोप–पत्र चस्पा करने का तरीका नियम, 1966 के नियम 30 के तहत निर्धारित तरीकों में से एक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कथन प्रस्तुत किया है कि वह कहीं और लाभप्रद रूप से नियोजित नहीं था और उसे मानसिक पीड़ा और वित्तीय देयता का सामना करना पड़ा है। प्रत्यर्थी , याचिकाकर्ता के कथनो का विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जिसमें निधि के दुर्विनियोग का गंभीर आरोप शामिल है, याचिकाकर्ता किसी भी बकाया वेतन के प्रदान किये जाने का हकदार नहीं है।

21. परिणामस्वरूप, और विधि के सुस्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2 – कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 8–3–2000 (अनुलग्नक पी –1) को अभिखंडित किया जाता है क्योंकि विभागीय जांच दूषित हो गई थी। हालांकि, यह आदेश प्रत्यर्थीगण – प्राधिकारियों के विधि के अनुसार एक नई विभागीय जांच शुरू करने के राह में बाधक नहीं बनेगा , यदि वे ऐसा करना चाहे तो ।

22. तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है, वाद व्यय के विषय में आदेश नहीं।

सही/–

सतीश के.अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

Translated By:– Md. Ruhul Ameen Memon